भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3427

उत्तर देने की तारीख- 20.03.2025

ट्राईफेड और टी ट्रंक के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन

3427. श्री बिप्लब कुमार देब :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : ट्राईफेड और टी ट्रंक समझौता ज्ञापन (एमओयू) विशेष रूप से जनजातीय उत्पादों के बाजार विस्तार में, विशेषकर त्रिपुरा में, किस प्रकार योगदान देता है;
(ख) : जनजातीय कारीगरों के लिए इस समझौता ज्ञापन से क्या आर्थिक लाभ होने की संभावना है;
(ग) : क्या ट्राईफेड और टी ट्रंक त्रिपुरा से जनजातीय उत्पादों की अधिकतम पहुंच बनाने के लिए डिजिटल और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की खोज कर रहे हैं; और
(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) : ट्राइफेड और टी ट्रंक के बीच फरवरी, 2025 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य त्रिपुरा सहित पूरे देश में जनजातीय कारीगरों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना और जनजातीय उत्पादों को टी ट्रंक के खुदरा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके उनकी आय को बढ़ाना है। सहयोग का उद्देश्य प्रीमियम बाजारों में जनजातीय उत्पादों की उत्पाद दृश्यता को बढ़ाना, व्यापक ग्राहक आधार को आकर्षित करना, साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता मानकों में सुधार करना है। साझेदारी आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी सुव्यवस्थित कर सकती है, लागत कम कर सकती है और कारीगरों के लिए आर्थिक लाभ को अधिकतम कर सकती है।

*****